समक्ष : माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

पुर्नविलोकन प्रकरण क /2017 R-680-PBR/17

श्रीमती लल्ला बेटी पत्नी भोगीराम पुत्री स्व. श्री पंचम सिंह निवासी ग्रम ऐराया हॉल निवासी ग्रम चिरूली तहसील डबरा जिला ग्वालियर म0प्र0

..........आवेदक

सुनील सिंह जादौन द्वारा आज दि 17.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती रामवती पत्नी श्री मोहन सिह पुत्री पंचम सिंह निवासी ग्रम खरदेरा तहसील नरवर जिला शिवपुरी म.प्र.।
2. श्रीमती ममता पत्नी पुरूषोतम पुत्री पंचम सिंह निवासी जतर्थी तहसील भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. ।

...........अनावेदकगण

पुनर्विलोकन याचिका अन्तर्गत म.प्र. भू–राजस्व सहिता , 1959 की धारा 51 के तहत निगरानी 1046/पीबीआर/2010 मे पारित आदेश दिनांक 17.1. 2017 को पुर्नविलोकन किये जाने वावत ।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 680–पीबीआर/2017 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–3–2017	आवेदिका की ओर से श्री सुनीलसिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदिका अधिवक्ता द्वारा रिव्यु की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । यह पुनर्विलोकन इस न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 1046–पीबीआर/2010 में पारित आदेश दिनांक 17–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण अभिलेख में ऐसी कोई साक्ष्य अथवा बात का उल्लेख नहीं किया गया है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी, और न ही अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि ही दर्शाई गई है। आवेदिका अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रकिया को त्रुटिपूर्ण ठहराने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	